भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2582**

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय- पीएमएफबीवाई की प्रगति की समीक्षा**

2582. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में अब तक हुई प्रगति तथा इसके प्रभाव की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के क्रियान्वयन से लेकर अब तक किसानों द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की कुल राशि कितनी है तथा मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या कितनी है और उन्हें वर्ष/राज्य-वार कुल कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) क्या पिछली फसल बीमा योजनाओं की तुलना में पीएमएफबीवाई में कोई बड़ा सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों/विफलताओं के समाधान के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सभी हितधारकों के साप्ताहिक वीडियो कॉनफेरेंस, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी कर रहा है, जिसमें बीमा कंपनियों का कार्य निष्पादन, दावों का समय पर निपटान आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर प्रभाव अध्ययन सहित विभिन्न अध्ययन भी किए गए हैं। इस योजना में किए गए विभिन्न सुधारों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2024-25 में किसानों का नामांकन सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा।

PMFBY के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या, प्रीमियम में किसानों का हिस्सा, भुगतान किए गए दावे और लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और II में दिया गया है।

(ग) से (ङ): पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में PMFBY में किए गए सुधारों का विवरण निम्नानुसार है:

i) किसानों की मांग को पूरा करने के लिए, योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया है।

ii) देश भर में फसलों/क्षेत्रों के लिए बीमा प्रीमियम में किसान की हिस्सेदारी को युक्तिसंगत बनाया गया है और इसे कम कर दिया है, जिसकी अधिकतम सीमा खरीफ खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीमा राशि का 2%, रबी खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों के लिए 1.50% तथा खरीफ और रबी वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5% है।

iii) बीमा/बोली प्रीमियम की हिस्सेदारी उत्तर पूर्वी राज्यों (खरीफ 2020 से) और हिमालयी राज्यों (खरीफ 2023 से), जहां यह अनुपात 90:10 है, के अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शेष भारत के लिए 50:50 के अनुपात में की जायेगी। पहले पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए हिस्सेदारी का पैटर्न 50:50 था।

iv) राज्यों को अपने जोखिम अनुमानों के अनुसार मूल PMFBY या कप एंड कैप मॉडल 80:110, कप एंड कैप मॉडल 60:130 और लाभ-साझाकरण मॉडल जैसे वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन मॉडल के चयन करने का विकल्प दिया गया है।

v) ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति (DLTC) द्वारा ज़िले/क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि लागत के आधार पर निर्धारित स्केल ऑफ फाइनेंस के अतिरिक्त, राज्यों को बीमा राशि निर्धारित करने के लिए एक और विकल्प, अर्थात औसत उपज का काल्पनिक मूल्य, दिया गया है।

vi) प्रमुख फसलों के लिए बीमा इकाई क्षेत्र को ग्राम/ग्राम पंचायत या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य समकक्ष इकाई तक सीमित कर दिया गया है। अन्य फसलों के लिए यह राज्य सरकार द्वारा यथा निर्णित ग्राम/ग्राम पंचायत या उससे बड़ी इकाई हो सकती है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत, संदर्भ इकाई क्षेत्र (RUA) राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS)/स्वचालित वर्षामापी स्टेशनों (ARS) के आधार पर अधिसूचित किया जाता है।

vii) संपूर्ण देश में फसलोपरांत नुकसान का कवरेज उपलब्ध कराया गया है और बेमौसम वर्षा को भी इसमें शामिल किया गया है।

viii) क्षेत्र/राज्य के किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (बीमा कंपनियों) का चयन एक वर्ष/सीजन के बजाय एक बार में 3 वर्ष की अवधि के लिए पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है।

ix) प्रचार और जागरूकता के लिए विस्तृत योजना हेतु, प्रति कंपनी प्रति सीजन सकल प्रीमियम का 0.5% व्यय निर्धारित किया गया है।

x) बारहमासी बागवानी फसलों को PMFBY के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है।

xi) आधार नंबर का अनिवार्य पंजीकरण - इससे डुप्लीकेशन को रोकने में सहायता मिलेगी।

xii) कई राज्यों की मांग के अधार पर, राज्यों को उपज-आधारित कवर में कमी के अलावा किसानों की स्थानीय मौसम संबंधी चुनौतियों और आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त जोखिम कवर का चयन करने का विकल्प दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने संपूर्ण भारत में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, समय पर क्षतिपूर्ति, पारदर्शिता लाने और दावों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की प्रदायगी देना, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) का विकास किया गया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु 'डिजिक्लेम मॉड्यूल' नामक एक समर्पित मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसमें सभी दावों का समय पर तथा पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित करने हेतु एनसीआईपी को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग किया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से के समानुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीफ 2024 से यदि बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) द्वारा 12% जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाता है।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से अपनी प्रीमियम सब्सिडी में देरी करती है, तो उसे भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से किस्त आधारित दावा भुगतान शुरू किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार लाने के लिए CCE-Agri ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा एकत्र करना और उसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन की निगरानी करने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- कार्यान्वयन सीजन के लिए सब्सिडी में राज्य के हिस्से की समय पर रिलीज सुनिश्चित करने और पात्र किसानों के दावों के विलंबित निपटान को नियंत्रित करने के लिए PMFBY के तहत एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे राज्यों को यह सुनिश्चित करने में सहायता

मिलेगी कि प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रीमियम सब्सिडी भुगतान में निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंब न हो।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं हानि आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. येस-टेक (प्रोद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) : यह प्रणाली उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान तैयार करने में सहायता प्राप्त करने हेतु रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक रूप से बढ़ने के लिए है। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान का 30% भारांश अनिवार्य रूप से येस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। इसमें खरीफ 2024 सीज़न से सोयाबीन की फसल को शामिल किया गया है।

ii. विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम) : स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र(ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु विंड्स की संस्थापना की गई है, जो ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। विंड्स न केवल येस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश भी करता है।

इसके अतिरिक्त, फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और सुझावों/ अभ्यावेदनों/हितधारकों/अध्ययनों की सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। अर्जित अनुभव के आधार पर, विभिन्न हितधारकों के अभिमतों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना को अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि योजना के तहत पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।

**अनुबंध-I**

## PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक राज्यवार विवरण
## (31 अक्टूबर 2025 तक)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | नामांकित आवेदन | किसानों से एकत्र किए गए प्रीमियम | भुगतान किए गए दावे | लाभान्वित किसान आवेदन |
|---|---|---|---|---|
| | (संख्या में) | (रु करोड़ में) | | (संख्या में) |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 2,920 | 0.05 | 0.25 | 624 |
| आंध्र प्रदेश | 4,37,16,203 | 795.50 | 5,575.64 | 59,58,221 |
| असम | 62,88,099 | 35.49 | 724.54 | 10,77,849 |
| बिहार | 52,31,142 | 402.54 | 811.06 | 4,70,922 |
| छत्तीसगढ | 4,35,44,198 | 1,627.25 | 7,651.92 | 1,11,86,002 |
| गोवा | 3,891 | 0.19 | 0.15 | 728 |
| गुजरात | 83,94,495 | 1,499.42 | 5,737.24 | 30,05,111 |
| हरियाणा | 3,88,85,481 | 2,351.19 | 9,006.35 | 81,85,047 |
| हिमाचल प्रदेश | 26,69,243 | 274.50 | 607.57 | 11,43,155 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 9,61,259 | 67.90 | 156.88 | 2,65,772 |
| झारखंड | 71,63,259 | 75.42 | 857.29 | 8,66,732 |
| कर्नाटक | 2,23,55,687 | 2,536.34 | 17,475.54 | 1,25,41,433 |
| केरल | 9,63,528 | 76.17 | 741.92 | 5,79,767 |
| मध्य प्रदेश | 10,19,37,987 | 6,819.99 | 31,722.62 | 3,02,86,712 |
| महाराष्ट्र | 13,08,08,719 | 5,522.25 | 44,978.38 | 6,20,50,428 |
| मणिपुर | 38,748 | 3.75 | 10.50 | 27,638 |
| मेघालय | 91,819 | 0.84 | 24.49 | 34,148 |
| ओडिशा | 6,54,84,317 | 1,154.56 | 7,179.76 | 1,13,15,566 |
| पुदुचेरी | 1,97,592 | 1.44 | 18.79 | 35,726 |
| राजस्थान | 19,42,16,079 | 6,827.46 | 31,411.26 | 4,97,50,339 |
| सिक्किम | 13,589 | 0.46 | 0.18 | 330 |
| तमिलनाडु | 3,81,69,842 | 1,396.75 | 15,488.07 | 1,78,54,870 |
| तेलंगाना | 39,04,037 | 696.38 | 1,906.38 | 12,21,538 |
| त्रिपुरा | 14,00,683 | 3.78 | 12.29 | 1,33,265 |
| उत्तर प्रदेश | 5,29,44,824 | 3,099.96 | 5,801.19 | 91,55,286 |
| उत्तराखंड | 20,00,126 | 344.77 | 1,211.02 | 10,07,387 |
| पश्चिम बंगाल | 1,38,05,173 | 305.51 | 1,262.78 | 19,14,960 |
| **कुल** | **78,51,92,940** | **35,919.87** | **1,90,374.05** | **23,00,69,556** |

**अनुबंध-II**

**PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक वर्षवार विवरण**
**(31 अक्टूबर 2025 तक)**

| वर्ष | नामांकित आवेदन | किसानों से एकत्र किए गए प्रीमियम | भुगतान किए गए दावे | लाभान्वित किसान आवेदन |
|---|---|---|---|---|
| | (संख्या में) | (रुपए करोड़ में) | | (संखया में) |
| 2016-17 | 5,85,88,795 | 4,120.78 | 16,870.75 | 1,50,38,954 |
| 2017-18 | 5,37,73,010 | 4,203.51 | 22,231.34 | 1,78,42,813 |
| 2018-19 | 5,79,24,389 | 4,814.17 | 29,362.02 | 2,28,70,902 |
| 2019-20 | 6,20,23,243 | 4,484.95 | 28,018.74 | 2,45,67,818 |
| 2020-21 | 6,24,55,870 | 4,048.87 | 20,457.76 | 1,93,44,233 |
| 2021-22 | 8,29,80,129 | 3,728.64 | 20,563.65 | 3,43,65,103 |
| 2022-23 | 11,24,87,613 | 3,980.71 | 19,840.78 | 3,28,08,066 |
| 2023-24 | 14,35,72,488 | 3,203.46 | 20,773.33 | 3,70,64,583 |
| 2024-25 | 15,13,87,403 | 3,334.79 | 12,255.67 | 2,61,67,084 |
| **कुल** | **78,51,92,940** | **35,919.87** | **1,90,374.05** | **23,00,69,556** |

******